UPMB010009612026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश,(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश महोबा।

उपस्थित–सन्दीप चौहान, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP–2739

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–421/2026

जयवीर कुशवाहा उम्र 19 वर्ष पुत्र टीकाराम कुशवाहा निवासी मु0 अलीपुरा पनवाड़ी थाना पनवाड़ी जिला महोबा।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

1– सरकार उत्तर प्रदेश।

.....विपक्षी।

मु0अ0सं0–46/2026
धारा–103(1), 3(5) बी0एन0एस0
थाना–पनवाड़ी, जिला–महोबा।

एवं

UPMB010010552026

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–461/2026

श्रीमती ज्योति उम्र 22 वर्ष पुत्री स्व0 हरनारायण प्रजापति पत्नी अंकुश निवासी ग्राम मिजौना, थाना माधवगढ़ जिला जालौन उ0प्र0 हाल निवास ग्राम हैवतपुरा, ब्रम्हनान थाना पनवाड़ी जिला महोबा।

.....प्रार्थिया/अभियुक्ता।

बनाम

1– सरकार उत्तर प्रदेश।

.....विपक्षी।

मु0अ0सं0–46/2026
धारा–103(1), 3(5) बी0एन0एस0
थाना–पनवाड़ी, जिला–महोबा।

Digitally signed by SANDEEP CHAUHAN
Date: 2026.06.18 12:57:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिनांक 18.06.2026

01. प्रस्तुत **जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 421/2026** प्रार्थी/अभियुक्त **जयवीर कुशवाहा पुत्र टीकाराम कुशवाहा** की ओर से मु0अ0सं0–46/2026, अन्तर्गत धारा–103(1), 3(5) बी0एन0एस0 थाना–पनवाड़ी, जिला–महोबा में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो उसके पैरोकार भाई करन के शपथ–पत्र से समर्थित है तथा शपथ–पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र किसी भी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है। **जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–461/2026** प्रार्थिया/अभियुक्ता **श्रीमती ज्योति पुत्री हरनारायण प्रजापति** की ओर से मु0अ0सं0–46/2026, अन्तर्गत धारा–103(1), 3(5) बी0एन0एस0 थाना–पनवाड़ी, जिला–महोबा में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो उसके स्वंय के शपथ–पत्र से समर्थित है तथा शपथ–पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र किसी भी न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है। **उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध से सम्बन्धित है। इसलिये सुविधा की दृष्टि से दोनों जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।**

02. अभियोजन कथानक के अनुसार, वादिया मुकदमा/प्रार्थिया रामप्यारी पत्नी हरनारायण प्रजापति उम्र 36 साल ग्राम हैवतपुरा ब्रह्मनान थाना पनवाडी जिला महोबा की मूल निवासिनी है। उसके पति दिनांक 13.04.2026 की शाम 8:00 बजे के लगभग घर पर नहीं आये तो उनकी खोज बीन की। उसके पति का विवाद उसके मकान के सामने धनीराम पुत्र स्व० उमराव अनुरागी निवासी हैवतपुरा ब्रह्मनान थाना पनवाडी के मकान मे किराये पर रह रहे धीरज कुशवाहा निवासी जालौन का जो कि जूनियर हाईस्कूल मे सरकारी टीचर था उससे चार छः बार विवाद हुआ और उक्त ने उसके पति को कई बार अपने मकान में बुलाकर मारपीट की। उसने मकान मालिक धनीराम से उक्त धीरज कुशवाहा से मकान खाली कराने की बात की तो उक्त धनीराम का कहना है कि पन्द्रह हजार रूपया दूसरा कोई किरायेदार तलाश दो, वह खाली करवा लेगा। अभी दो दिन पहले उक्त धीरज कुशवाहा ने उसके पति को धमकी दी थी कि पॉच दिन के अन्दर उसे जान से मार देंगे। आज दिनाक 14.04.2026 को दोपहर 12.00 बजे के लगभग ढूंढते–ढूंढते वह अपने मकान के पीछे नाले में देखने गयी तो उसके पति का शव नाले में पड़ा मिला। उसे पूरा विश्वास है कि उसके पति को उक्त धीरज कुशवाहा ने ही मार डाला। उसके पति की जघन्न हत्या कर दी। उपरोक्त

आधार पर थाना हाजा पर अभियुक्त धीरज कुशवाहा के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की गई।

03. प्रार्थी/अभियुक्त जयवीर कुशवाहा की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र में आधार लिया गया है कि, प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी को झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। प्रार्थी द्वारा सह अभियुक्तों के साथ मृतक की हत्या नहीं की है। प्रार्थी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त रस्सी बरामद नहीं हुई है जो पुलिस द्वारा दिखाया गया है वह फर्जी व बनावटी है। घटना व बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी का कोई हत्या करने का उद्देश्य, हेतुक व कारण नहीं है। मोहल्लेदारों ने जानबूझकर प्रार्थी का नाम घटना से जोड़ा गया हैं। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 22.04.2026 से जिला उपकारगार में निरूद्ध है। प्रार्थी एक नवयुवक है जो घटना समय अपने परिवार के साथ खेतों में गेंहू की फसल की थ्रेसिंग करा रहा था। उपरोक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का पात्र है।

04. प्रार्थिया/अभियुक्ता श्रीमती ज्योति की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र में आधार लिया गया है कि, प्रार्थिया/अभियुक्ता निर्दोष है। प्रार्थिया अपनी ससुराल ग्राम मिजौना थाना माधवगढ़ जिला जालौन में रहकर बी0ए0 अंतिम वर्ष की परीक्षा देने की तैयारी कर रही थी। दिनांक 14.04.2026 को उसके पति के मोबाईल पर सूचना आयी कि उसके पिता का देहान्त हो गया है। वह दिनांक 15.04.2026 को प्रातः 2 बजे अपने ससुरालजनों के साथ अपने पिता के घर ग्राम हैवतपुरा, ब्रम्हनान, थाना पनवाड़ी, जिला महोबा आयी। दाह क्रिया संस्कार होने के बाद प्रार्थी के ससुराल जन वापिस चले गये। प्रार्थिया अपने पिता के घर रुक गयी। दिनांक 21.04.2026 को थाना पनवाड़ी पुलिस द्वारा उसे व उसकी माँ (रामप्यारी) व दो छोटी बहनों (सोनली, पूजा) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रार्थिया की मॉ श्रीमती रामप्यारी द्वारा पति की हत्या करने का आरोप मकान के सामने रहने वाले अध्यापक धीरज कुशवाहा निवासी जालौन के विरुद्व लगाकर प्रथम सूचना दिनांक 14.04.2026 को थाना पनवाड़ी में दर्ज कराई थी। विवेचक ने धीरज कुशवाहा को धनबल व राजनैतिक समीकरण के दबाब में आकर कोई पूछताछ नहीं की। इसके विरोध में उसकी माँ व परिवारजन की आवाज दबाने के उद्देश्य से उसके पूरे परिवार के सदस्यों पर पिता की हत्या करने का झूठा आरोप लगाकर जेल भेज दिया। विवेचना में प्रार्थिया के विरुद्ध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष साक्ष्य घटना के संबंध में नहीं मिले तथा जिससे घटना या अपराध को सीधे तौर पर साबित करती हो। विवेचक द्वारा जिन गवाहों साक्ष्यों की संकलित की गई है, उन सभी ने संदेह (शक) के संबंध में कथन किया है। संदेह के आधार पर भारतीय कानूनी व्यवस्था में सजा का आधार नहीं बनाता है। संदेह चाहे कितना भी गहरा व पुख्ता क्यों न हो, वह

कभी ठोस साक्ष्य की जगह नहीं बनाता है। प्रार्थिया के पास से कोई रकम बरामद नहीं हुई है। फर्जी व झूठे मुकदमे को बल दने के लिये रकम की बरामदगी दिखलाई गई है। प्रार्थिया शादीशुदा है। अपने पिता स्व० हरनारायण की हत्या करने का कोई भी उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है। प्रार्थिया के विरुद्ध प्रथमदृष्टया अभियोजन के पास कोई ठोस प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। संदेह के आधार पर दोषसिद्ध भी नहीं किया जा सकता है। विवेचना समाप्त हो चुकी है। विवेचना से सम्बन्धित कोई कार्यवाही शेष नहीं है। न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थिया न्यायालय प्रक्रिया में बराबर सहयोग करेगी। अभियोजन साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। जमानत पर रिहा होने के बाद, जमानत की स्वंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। प्रार्थिया दिनांक 21.04.2026 से उपकारागार, महोबा में बंदी है। जेल में अकारण बंद रहने से उसका वैवाहिक जीवन व शिक्षा प्रभावित हो रहे है तथा भविष्य भी खराब हो रहा है। प्रार्थिया को कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिया का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला स्तर के किसी भी न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। सी. जे. एम न्यायालय से निरस्त हो चुकी है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थिया का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की कृपा की जाये उपरोक्त आधार पर प्रार्थिया/अभियुक्ता जमानत का पात्र है।

05. मेरे द्वारा अभियुक्त जयवीर कुशवाहा के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र राजपूत व प्रार्थिया/अभियुक्ता श्रीमती ज्योति के विद्वान अधिवक्ता श्री रामवअतार सिंह एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक, (दाण्डिक) श्री पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना–पत्र का गम्भीर विरोध करते हुये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना–पत्रों को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

06. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–103(1), 3(5) बी0एन0एस0 का अभियोग लगाया गया है। प्रार्थिया/अभियुक्ता श्रीमती ज्योति के विरूद्ध एवं प्रार्थी/अभियुक्त जयवीर कुशवाहा के विरूद्ध अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय से मृतक हरनारायण की हत्या किये जाने का अभियोग लगाया गया है। प्रार्थिया/अभियुक्ता श्रीमती ज्योति मृतक की पुत्री है एवं प्रार्थी/अभियुक्त जयवीर कुशवाहा मृतक की अन्य पुत्री पूजा जो कि इस मामलें की सहअभियुक्त भी है, का मित्र है। प्रस्तुत मामलें की तहरीर वादिया मुकदमा श्रीमती रामप्यारी पत्नी स्व0 हरनारायण द्वारा थाना में दी गई थी। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा वादिया मुकदमा, प्रार्थिया/अभियुक्ता श्रीमती ज्योति, प्रार्थी/अभियुक्त जयवीर कुशवाहा एवं अन्य सह

अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में लाया गया है। पत्रावली में संलग्न फर्द बरामदगी (घटना में प्रयुक्त धागे की रस्सी, टूटा हुआ मोबाइल, नगदी रूपया) का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार प्रार्थिया/अभियुक्ता श्रीमती ज्योति की निशानदेही पर 27,000/रू0 बरामद किये गये। प्रार्थी/अभियुक्त जयवीर कुशवाहा व अन्य सहअभियुक्त की निशानदेही पर मृतक की हत्या में प्रयुक्त धागे की रस्सी बरामद की गयी। पत्रावली में संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर जले हुये एवं चोट के निशान पाये गये हैं एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण, **"Asphyxia due to antimortem strangulation"** अंकित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त जयवीर कुशवाहा व प्रार्थिया/अभियुक्ता श्रीमती ज्योति के विरूद्ध लगाये गये अभियोग गंभीर प्रकृति का है। उपरोक्त के विरूद्ध प्रथमदृष्टया साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क विचारण के समय साक्ष्य का विषय है।

07. अतः उपरोक्त मामले के तथ्यों व परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **जयवीर कुशवाहा पुत्र टीकाराम कुशवाहा का जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–421/2026** एवं प्रार्थिया/अभियुक्ता **श्रीमती ज्योति पुत्री स्व0 हरनारायण प्रजापति पत्नी अंकुश** का **जमानत प्रार्थनापत्र सं0 461/2026** अन्तर्गत मु0अ0सं0–46/2026, अन्तर्गत धारा–103(1), 3(5) बी0एन0एस0 थाना–पनवाड़ी जिला–महोबा निरस्त किये जाते हैं।

आदेश की एक प्रति प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाये।

उपरोक्त जमानत आदेश की प्रति जमानत प्रार्थनापत्र सं0 461/2026 श्रीमती ज्योति बनाम सरकार उ0प्र0 की पत्रावली में रखी जाये।

दिनांक 18.06.2026

(सन्दीप चौहान)
विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, महोबा।
J.O. Code-UP2739